

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018

Notice for Extraordinary General Meeting
Friday, February 16, 2018



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office : 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची
INDEX

सूचना.....	3	Notice	20
टिप्पणियां	4	Notes	21
व्याख्यात्मक कथन	7	Explanatory Statement	24
घोषणा पत्र	14	Declaration	31
नामांकन फार्म	16	Nomination Form.....	33
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन पत्र	17	Personal Information, Declaration And Undertaking	34
प्रॉक्सी फार्म	37	Proxy Form	38
उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश पत्र	39	Attendance Slip/Entry Pass	39

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम
IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन की प्रक्रिया में सहभाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट दिनांक/Specified date for ascertaining Shareholders entitled to participate in the process of election of Shareholder Director	16 जनवरी, 2018/ 16 th January, 2018
नामांकन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक / Last date for receipt of nomination	01 फरवरी, 2018 को सायं 5.00 बजे तक/ 01 st February, 2018 by 5.00 p.m
नामांकनों की संवीक्षा / Scrutiny of nominations	02 फरवरी, 2018/ 02 nd February, 2018
ई-वोटिंग अवधि / E-Voting period	13 फरवरी, 2018 को सुबह 9.00 बजे से 15 फरवरी, 2018 को सायं 5.00 बजे तक/From 9.00 a.m,13 th February, 2018 to 5.00 p.m, 15 th February, 2018
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने का अंतिम दिनांक/ Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	09 फरवरी, 2018 को सायं 5.00 बजे तक/ 09 th February, 2018 by 5.00 p.m
असाधारण सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थल/ Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	शुक्रवार, 16 फरवरी, 2018 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 Friday, 16 th February, 2018 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बँडके) विनियमावली 2004 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) दिनांक शुक्रवार 16 फरवरी, 2018 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसाय कार्यों का संचलन किया जाएगा :

1. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“दि एक्ट”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“दि स्कीम”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बँडके) विनियम, 2004 (“दि रेग्युलेशन”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो “सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार (जीओआई) को अधिमान आधार पर ₹10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹ 650/- करोड़ (छह सौ पचास करोड़ मात्र) के 24,96,15,975 इक्विटी शेयरों को ₹ 26.04 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा।

प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 17 जनवरी, 2018 है।

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/कों/ निदेशकों या बैंक के ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

2. शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके पश्चात “विनियम अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके पश्चात “योजना” के रूप में संदर्भित) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बँडके) विनियम 2004 (इसके पश्चात “विनियम” के रूप में संदर्भित) और भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके पश्चात “भारिबैं अधिसूचना” के रूप में संदर्भित) के दिनांक 24.11.2016 के क्र.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39. 001/2016-17 तथा दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी. बीसी. क्र.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित अधिसूचनाएं दिनांक 01.11.2007 क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 तथा इसके अलावा आगे संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में मीमांसा के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.07.2016 के दिशानिर्देश (इसके पश्चात भारत सरकार के दिशानिर्देश संदर्भित) के साथ पठित भारत सरकार (जीआईओ) से दिनांक 03.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन

संदर्भ क्र. एफ.क्र.16 /83/2013-बीओ.आई तथा 28.04.2015 के एफ क्र. 16/51/2012-बीओआई (विद्यमान भारत सरकार के दिशानिर्देश) और इसके अलावा, अगला संशोधन, यदि कोई हो तथा निम्नलिखित एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाई गई संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित _____ को एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वह कार्यालय की उसके पद ग्रहण की दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यभार संभालें।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(आर. पी. मराठे)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : पुणे

दिनांक : 17 जनवरी, 2018

टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक के कार्य-व्यवहार के संबंध में भौतिक तथ्यों के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न) को नियुक्त करने के लिए हकदार होगा और यह आवश्यक नहीं कि यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैंक) विनियमावली, 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत प्रदान करने वाला, जिस लिखत से वह संबंधित है, उस संबंध में बैठक में वैयक्तिक रूप से वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत इस नोटिस के साथ संलग्न 'फॉर्म बी' में उल्लिखित प्रारूप के सिवाय वैध नहीं माना जाएगा.

प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात् शुक्रवार 9 फरवरी, 2018 को शाम 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक (निवेशक सेवाएं विभाग) प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में प्राप्त हो जाना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो कि बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग नहीं ले सकता है या वोट नहीं कर सकता है, जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, जिसमें कि यह पारित किया गया हो कि यह प्रति बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात् शुक्रवार 9 फरवरी, 2018 को सायं 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय के ऊपर उल्लिखित पते पर जमा की गई थी.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र (उपस्थिति पर्ची):

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है. शेयरधारकों के पास यह विकल्प है कि वे अपना मतदान ई-वोटिंग मंच का उपयोग करके दें. जो ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं वह अपना मतदान असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक को बैठक स्थल में आयोजित मतदान में दे सकते हैं. ऐसे शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची और रिक्त स्थानों में दिए गए विवरण, यदि कोई हों, का सत्यापन करें और उस पर्ची में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें और यह पर्ची बैठक के स्थान पर जमा करें. शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी 'उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र' पर 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि', जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करें.

5. मतदान अधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने धारित शेयरों के आधार पर, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान करने का हकदार नहीं रहेगा.

विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से धारित है तो रजिस्टर में उल्लिखित पहले व्यक्ति के नाम को, जहां तक मतदान करने का संबंध है, एकल धारक के रूप में माना जाएगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम से हैं तो पहले नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और केवल वही बैठक में नामांकन करने, भाग लेने और वोट करने हेतु पात्र होगा।

6. ई-वोटिंग/मतदान प्रक्रिया:

क. कार्यसूची मद क्र.1 के लिए अंतिम दिनांक

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1 के संबंध में शेयर धारकों का मतदान अधिकार शुक्रवार 9 फरवरी, 2018 को माना जाएगा।

ख. निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट दिनांक (कार्यसूची मद क्र.2)

केन्द्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र शेयर धारकों का निर्धारण करने अर्थात् नामांकन, प्रतिस्पर्धा और मतदान करने हेतु नोटिस में उल्लेख किए अनुसार निर्दिष्ट दिनांक 16 जनवरी, 2018 मंगलवार (अंतिम दिनांक) निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्वाचन के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार मंगलवार, 16 जनवरी, 2018 को माना जाएगा।

ग. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट तथा स्थान पर ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

निर्दिष्ट दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। मंगलवार दिनांक 13 फरवरी, 2018 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी 2018 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

I. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है -

क. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें

<https://www.evotingindia.com/>

(ii) शेयरहोल्डर लॉग-इन पर क्लिक करें

(iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें

(iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपने अपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।

(vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करे (डीमैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) <ul style="list-style-type: none">जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें।यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।

लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डीमैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (iii) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।
---	--

- (vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब “पासवर्ड क्रिएशन” मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- (x) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन” दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए “हां/नहीं” विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सम्मति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- (xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो “रिजॉल्यूशन्स फाइल लिंक” पर क्लिक करें।

कार्यसूची क्र.1 के लिए

- (xiii) मतदान पृष्ठ पर अंतिम दिनांक जो कि निर्दिष्ट शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2018 बैंक के शेयर धारकों द्वारा धारित किए गए शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।
- (xiv) कार्यसूची मद क्र.1 के संबंध में, आप मामले के अनुसार एसेंट या डिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें तथा “सबमिट” पर क्लिक करें और प्रदर्शित होने पर “कन्फर्म” पर क्लिक करें।

कार्यसूची क्र.2 के लिए

- (xv) कार्यसूची मद क्र.2 के संबंध में, निर्दिष्ट दिनांक जो कि मंगलवार 16 जनवरी, 2018 के अनुसार जिन्होंने शेयर धारित किए हैं वे प्रत्याशी उम्मीदवार जिनके नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं में से किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अपना मत डाल सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति को मत देने से आपका मत अवैध हो जाएगा। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत डालें तथा “सबमिट” पर क्लिक करें तथा प्रदर्शित होने पर “कन्फर्म” पर क्लिक करें।
- (xvi) जिस संकल्प पर वोट करने का आपने निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- (xvii) एक बार संकल्प पर अपना वोट “कन्फर्म” करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- (xviii) आप वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xix) यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारित करते हैं और अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें, छवि सत्यापन (इमेज वेरिफिकेशन) कूट प्रविष्ट करें और फरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किए अनुसार ब्यौरे प्रविष्ट करें।
- (xx) गैर -वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट
- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जाए।

- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
- घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।
- ड) बोर्ड रिजॉल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

ख. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते हैं।

ग. कोई व्यक्ति, जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर लेता है और बैंक का शेयरधारक हो जाता है और जो नियत दिनांक अर्थात् शुक्रवार 09 फरवरी, 2018 को शेयर धारित करता है तो वह पंजीयक व शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/बैंक को या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगॉट यूजर डीटेल/ पासवर्ड" का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-200-5533 पर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे शेयरधारक को कार्यसूची मद क्र. 2 पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा (बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)।

घ. मंगलवार दिनांक 13 फरवरी, 2018 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार दिनांक 15 फरवरी, 2018 को शाम 5.00 बजे तक ई-वोटिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा और इसके बाद बंद कर दिया जाएगा।

ड.) शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के मुख-पृष्ठ पर निवेशक संबंध लिंक को भेंट दे सकते हैं।

7. असाधारण सामान्य बैठक में मतदान प्रक्रिया

रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही असाधारण सामान्य बैठक में मतदान द्वारा कार्यसूची मदों पर वोटिंग की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लागू नहीं किया है वे बैठक के दिनांक को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे।

8. असाधारण सामान्य बैठक में संवीक्षक

असाधारण सामान्य बैठक में आयोजित वोटिंग प्रक्रिया के लिए कार्यसूची मद क्र. 1 संबंध में अन्य शेयरधारक के साथ मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे। कार्यसूची मद क्र. 2 के संबंध में मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा उक्त कार्य हेतु नियुक्त एक मुख्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी और इसकी देखरेख केंद्र सरकार के प्रतिनिधी द्वारा प्रेक्षक के रूप में की जाएगी।

9. ई-वोटिंग और बैठक में मतदान का परिणाम

असाधारण सामान्य बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक कथन :

मद क्र.1:

सेबी (आईसीडीआर) नियमावली 2009 के अनुसार आवश्यक प्रकटन

क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2019 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 11.50% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1) की एक शर्त शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और यह सीसीबी सीईटी 1 के रूप में होना चाहिए। बेसल III ढांचे के अनुसार 30.09.2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.28% था जिसमें 7.17% के सीसीबी सहित सीईटी 1 के साथ टियर-I पूंजी (सीसीबी सहित) 9.00% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक ने रु.1800.00 करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।

- ख) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 दिसंबर, 2017 के संप्रेषण एफ.क्र.एफ 7/ 38/ 2014-बीओए द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार (जीओआई) के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को पूंजी के रूप में रु.650.00 करोड़ (रुपए छह सौ पचास करोड़ मात्र) देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को आवेदन राशि भी प्रेषित की गई है तथा इसे एक अलग खाता बनाकर रखा गया है। निदेशक मंडल ने अपनी 03 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक में भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.650.00 करोड़ (प्रिमियम सहित) के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा।
- ग) निर्गम मूल्य का निर्धारण आज के दिनांक तक संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाएगा।
- घ) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 में उल्लेख किए अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगा।
- ड.) निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के पश्चात	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क	प्रवर्तकों की धारिता	1042413449	75.54	1292029424	79.29
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	337530974	24.46	337530974	20.71
	कुल	1379944423	100.00	1629560398	100.00

- च) बैंक के इक्विटी शेयर छह माह से अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

- छ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को जारी किया गया है, जो कि प्रमुख शेयरधारक एवं बैंक का प्रवर्तक है, अतः बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

भारत सरकार (जीओआई) की निर्गम पूर्व एवं पश्चात की शेयरधारिता निम्नानुसार रहेगी :

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पूर्व	1042413449	75.54
निर्गम के पश्चात	1292029424	79.29

- ज) भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत जारी और आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी नए इक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रहेंगे।
- झ) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयरधारिता नए इक्विटी शेयरों के “क्रय-विक्रय अनुमोदन” के दिनांक से छह माह की अवधि, जो संबंधित दिनांक से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- ट) सांविधिक लेखा परीक्षक(कों) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाए कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है।
- ठ) जहां आवश्यक हो, बैंक इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनर्गणना करने का वचन देता है।
- ड) बैंक यह वचन देता है कि इन विनियमों में अनुबंधित समय-सीमा के भीतर यदि मूल्य की पुनर्गणना के कारण कोई रकम देय होती है जिसका भुगतान नहीं हुआ है तो आबंटिती (allottee) द्वारा ऐसी रकम के भुगतान के समय तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन सूची में रखा जाएगा।
- ढ) बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट में विनिर्दिष्ट किए अनुसार इक्विटी शेयरों के सतत सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।
- ण) भारत सरकार ने संबद्ध दिनांक से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड (बेकागजीकृत) स्वरूप में हैं।

निदेशक मंडल, सूचना में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक में उनकी शेयरधारिता सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

मद क्र. 2

- क) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खंड (सी) के अधीन निर्गम पूंजी, कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से कम होती है तो निदेशक मंडल में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित दो निदेशक होने चाहिए जोकि केन्द्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त रहेंगे।

- ख) तदनुसार, बैंक शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित दो निदेशकों को रखने का हकदार है जोकि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त रहेंगे। वर्तमान में, बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों का एक निदेशक उपलब्ध है और बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री पी. ए. सेठी के कार्यकाल की समाप्ति होने से निदेशक मंडल में एक रिक्ति है।
- ग) निदेशक मंडल ने 03 जनवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के एक निदेशक की एक रिक्ति को भरने हेतु चुनाव के आयोजन को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेख के अनुसार संकल्प पारित करने की अनुशंसा की।
- घ) अतः केंद्र सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न व संगत अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ निर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अपने नामांकन भेज सकते हैं। उम्मीदवारी हेतु सभी प्रकार से पूर्णतः भरे हुए नामांकन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उम्मीदवारों की योग्य और उचित स्थिति की पहचान की जाएगी।
- ङ) उक्त प्रक्रिया के पश्चात् यदि केवल एक नामांकन वैध पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा तथा निर्वाचित होने के संबंध में उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अथवा जब कोई भी नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो असाधारण सामान्य बैठक की कार्यसूची के मद क्रमांक 2 पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। नवनिर्वाचित निदेशक कार्यालय में अपने कार्यग्रहण से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
- च) यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होता है तो उम्मीदवारों के नाम समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव होगा तथा जिस उम्मीदवार को अधिसंख्यक वोट, अर्थात् बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग और ई-वोटिंग का समग्र, प्राप्त होंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा तथा उसके नाम की घोषणा की जाएगी और समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/ विनियमन/ योजना/ अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैं :

अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन -ई) धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त ब्याज ➤ सामान्य निदेशकों का निषेध ➤ इसके किसी भी निदेशक को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध ➤ समनुरूपी नए बैंक के अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) और धारा 9(3 एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए। ➤ चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार। ➤ निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता ➤ निदेशक के कार्यालय की रिक्ति ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना ➤ कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, हितों का विगोपन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन ➤ साधारण बैठक में मतदान ➤ निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की संवीक्षा ➤ निर्वाचन से संबंधित विवाद ➤ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्रॉक्सियां
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र. बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007, क्र. डीबीओडी .बीसी.क्र.95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 और क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/ 29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 और अनुवर्ती अधिसूचना।	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3ए) व धारा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सं.क्र.16/83/2013-बीओ.आई द्वारा जारी 03 सितंबर 2013 के पत्र और दिनांक 20 जुलाई 2016 तथा 28 अप्रैल 2015 के भारत सरकार के पत्र एफ.क्र.16/51/2012-बीओ.आई के साथ पठित 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड और इसके अतिरिक्त अनुवर्ती संशोधन, अगर कोई हो।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड
01 जुलाई 2015 का भा रि बैं मास्टर परिपत्र		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना
सेबी (कर्तव्यों की सूची तथा आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियमन और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और क्र. डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.क्र. 39/ 29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध होंगे जिसे उपयोगकर्ता द्वारा अवलोकन/ डाउनलोड किया जा सकता है। इसके सारांश को इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल किया जाएगा जब नामांकन फॉर्मों के प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित दिनांक अर्थात् गुरुवार, 01 फरवरी, 2018 को या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ई-मेल पते compsec@mahabank.co.in पर अनुरोध प्राप्त हो।

क. निर्वाचन में सहभाग

विनिर्दिष्ट दिनांक अर्थात् मंगलवार, 16 जनवरी, 2018 को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त किए अनुसार लाभार्थी स्वामियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामवाले शेयरधारकों को केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार होगा।

इसे नोट किया जा सकता है कि, निदेशक के चुनाव में केन्द्र सरकार भाग लेने हेतु पात्र नहीं है, लेकिन दृष्टा के रूप में ईजीएम में भाग ले सकती है।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार तथा जो अधिनियम की धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -

(क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग

- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग

viii. अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, या

(ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

अनुच्छेद की धारा 9(3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए।

अनुच्छेद की धारा 9(3बी) के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उप-अनुच्छेद 3(ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना का उल्लेख भी किया जा सकता है, 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्णय प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया तथा इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के आवश्यक या आकस्मिक अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसविदा का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा -

(क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो, या

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या

(ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या

(घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ड) व (च) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर पद धारित करता है।

ख. यदि उसे बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 03 सितंबर 2013 के ओएम के साथ पठित दिनांक 20.07.2016 तथा 28.04.2015 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों क्र. एफ.क्र.16/51/2012-बीओ.आई और भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 1.11.2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र. बीसी.क्र.46/ 29.39. 001/2007-08 व डीबीओडी क्र. 47/ 29.39.001/ 2007-08, दिनांक 23.05.2011 क्र. डीबीओडी. बीसी. क्र. 95/ 29.39.001/ 2010-11 और दिनांक 24.11.2016 क्र. डीबीओ. एपीपीटी. बीसी. क्र. 39/ 29.39.001/ 2016-17 की अधिसूचना के अनुसार 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

ग. शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बेटके) विनियम 2004 के विनियम 64 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17 जनवरी, 2018 से शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप यथा सीडी अथवा अन्य कोई माध्यम से) निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में शेयरधारकों द्वारा रु.10,000/- (रुपए दस हजार केवल) के पूर्व भुगतान पर सीडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसकी मुद्रित प्रति 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के पक्ष में पुणे में देय अनुसूचित बैंक के रु.50,000 (रुपए पचास हजार केवल) के मांग ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा उपलब्ध की जाएगी। उक्त सूची को खरीदने वाले इच्छुक उम्मीदवार महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को संबोधित पत्र द्वारा अनुरोध करेंगे तथा यह वचन भी देंगे कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

घ. शेयरधारकों की पंजी का निरीक्षण

शेयरधारकों की पंजी का शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण करने हेतु यह पंजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में सभी कार्य दिवसों (दूसरे तथा चौथे शनिवार और रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों की पंजी के किसी भी भाग का उद्धरण प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक प्रतिलिपि अथवा चुने हुए भाग/ अंश के कम्प्यूटर प्रिंट की मांग करता है तो वह उसे रु. 5/- प्रति 1,000 शब्द अथवा उसके अनुपात में भुगतान करने पर उपलब्ध की जाएगी।

ड. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

नियमावली के विनियम 65, भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/ 29.39.001/ 2007-08 के साथ पठित दिनांक 23.05.2011, दिनांक 24.11.2016 क्र.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/ 2010-11, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी 03 सितंबर, 2013 के पत्र संदर्भ फा.सं. 16/ 83/ 2013-बीओ. आई और 28.04.2015 तथा 20.07.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक पर विचार करने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त मानदंडों (भारत सरकार के दिशानिर्देश) एवं विभिन्न अधिनियमों/दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक के रूप में चयन हेतु उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि :-

- क) वह शेयरधारक है तथा मंगलवार दिनांक 16 जनवरी, 2018 जोकि चुनाव में सहभागिता की विशिष्ट तारीख निश्चित की गई है, को उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेयर हैं तथा बैठक की तारीख तक, तत्पश्चात् यदि वह चुना जाता/ जाती है तो उसका कार्यकाल समाप्त होने तक वह न्यूनतम 100 शेयर धारित करता/ करती है।
- ख) गुरुवार, दिनांक 01 फरवरी, 2018 जो कि नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख है को वह अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाता है।
- ग) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक, जो कि एक कंपनी है, द्वारा एक नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जब यह बनाया जाए तो जिस बैठक में यह पारित हुआ हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन पत्रों के साथ उम्मीदवार का घोषणापत्र जिसका नमूना उपलब्ध किया गया है जो कि उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, दंडाधिकारी, एश्योरेन्स के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसमें वह घोषणा करेगा/ करेगी कि उसने नामांकन स्वीकार किया है तथा चुनाव हेतु खड़ा होने के लिए इच्छुक है तथा उसे अधिनियम अथवा विनियामक अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों अथवा भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक के रूप में अयोग्य करार नहीं दिया गया है। साथ ही, उसे अपने वैयक्तिक ब्यौरे (बायो डाटा) हस्ताक्षर करके यह पुष्टि करनी होगी कि उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार यह ब्यौरे यथार्थपूर्ण हैं तथा वह यह वचन भी देगा/ देगी कि यदि घोषणा करने के उपरांत इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वह संगत जानकारी यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/ करेगी।
- ड) नामांकनपत्र एवं घोषणापत्र विनियम में निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुसार हैं जो कि इस नोटिस के साथ संलग्न किए गए हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है।)
- च) उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004 (जिसे अब से विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/ 29.39.001/ 2007-08 के एवं दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/ 2010-11 तथा 28.04.2015 के पत्र क्र. एफ.क्र.16/51/2012-बीओ-आई के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (इसके पश्चात् 'भारत सरकार के दिशानिर्देश' और आगामी संशोधनों को संदर्भित, अगर कोई हो) के गैर-आधिकारिक निदेशकों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी 20.07.2016 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

च. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए पत्र में सीलबंद लिफाफे में जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - ईजीएम 2018" महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सहित ईजीएम हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार 01 फरवरी 2018 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात् सायं. 5.00 बजे से पूर्व निम्नलिखित प्रस्तुत करें और ऐसा न करने पर नामांकनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

- (क) विधिवत भरे हुए घोषणा फॉर्म
 (ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
 (ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा क. बायोडेटा ख. शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र ग. कार्य अनुभव आदि की स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ नोटिस से संलग्न प्रारूपों में
 उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज हर तरह से पूर्ण हो जिसमें कोई भी चूक होने से इसे निरस्त किया जाएगा।

छ. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

- क) विनियमों में शामिल शर्तों के साथ नामांकन की पुष्टि हेतु शुक्रवार दिनांक 02 फरवरी 2018 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि नामांकन अवैध पाए जाते हैं तो कारणों को दर्ज करते हुए उन्हें निरस्त किया जाएगा।
 ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2007, 23.05.2011 और 24.11.2016 के उपयुक्त और उचित विषय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी) नामांकनों की संवीक्षा करेगी।
 ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर विचार करने के लिए भारत सरकार की सूचना की शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों की उपयुक्त व उचित स्थिति का निर्धारण करते समय नामांकन समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.04.2015 और 20.07.2016 को जारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को भी ध्यान में रखेगी।
 घ) बैंक एनसीबी द्वारा सलाह दिए अनुसार या नामांकनों की संवीक्षा करते समय उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में कुछ और जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।
 ङ.) यदि एनसीबी द्वारा उपयुक्त व उचित स्थिति हेतु केवल एक ही उम्मीदवार पाया जाता है तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार द्वारा कार्यालय में अपने कार्यग्रहण के दिन से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम, पता इस प्रकार के चुने गए उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की घटना होने पर या कोई भी नामांकन वैध न पाए जाने पर कार्यसूची की मद क्र. 2 के अनुसार ईजीएम नहीं बुलाई जाएगी। एनसीबी द्वारा उम्मीदवार को उपयुक्त व उचित माने जाने वाले दिनांक के अगले दिन से नवनियुक्त निदेशक कार्यालय में कार्यग्रहण करेंगे।
 च) यदि एनसीबी द्वारा उपयुक्त व उचित स्थिति हेतु एक से अधिक उम्मीदवार पाए जाते हैं तो उम्मीदवारों के नाम बैंक की वेबसाइट, सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराए जाएंगे। अधिकतम मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

ज. उम्मीदवारी को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह किसी भी समय किंतु सोमवार 12 फरवरी, 2018 को दोपहर 2.00 बजे से पूर्व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या फैक्स क्रमांक 020-25533246 पर फैक्स भेजकर या boardsec@mahabank.co.in या compsec@mahabank.co.in पर स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकता है।

झ. विवाद

यदि कोई विवाद है तो उसका निराकरण यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।


ञ. निष्कर्ष

शेयरधारकों के लाभार्थ लागू अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ दिशानिर्देशों के संबंधित भाग का निष्कर्ष बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को compsec@mahabank.co.in पर लिखकर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना में उल्लिखित अनुसार सामान्य संकल्प को पारित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की जाती है।

मौजूदा निदेशक जो शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के बाद एजेंडा मद में अपनी संबद्धता या रुचि व्यक्त कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
 कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र



(आर. पी. मराठे)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : पुणे

दिनांक : 17 जनवरी, 2018

घोषणा
(उम्मीदवार द्वारा)
(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, _____
सुपुत्र/सुपुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती _____
निवासी _____, एतद्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि:

- क. मैं मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2018 को अर्थात् निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई **विनिर्दिष्ट तिथि** को बैंक के रू.10/- प्रत्येक के -----
---- ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा; तथा
- ख. मुझे * (1) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (2) बैंकिंग, (3) सहकारिता, (4) अर्थशास्त्र, (5) वित्त, (6) विधि (7) लघु उद्योग, अथवा _____ (का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा) का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूँ तथा
- ग. मैं _____ से _____ क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूँ;
- घ. मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ;
- ङ. मुझे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक की संबंधित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और
- च. मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूँ और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ; और
मैं यह भी घोषित करता हूँ कि
- छ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- ज. मुझे किसी भी समय दिवालिया नहीं माना गया है या लेनदार के साथ गणना नहीं की गई है अथवा ऋण अदा नहीं करने वाला नहीं माना गया है।
- झ. मुझे कभी भी विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया है और मुझे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और
- ञ. मैं किसी भी प्रकार की किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों, एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी. और स्टॉक ब्रोकर से संबद्ध नहीं हूँ।
- ट. मैं किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ।
- ठ. मैं पूर्व में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान या भारतीय रिज़र्व बैंक या बीमा कंपनी के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में दो टर्म के लिए अथवा छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो चाहे विराम के साथ या निरंतर निदेशक नहीं रहा हूँ।
- ड. मैं पूर्व में इस बैंक के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में दो टर्म के लिए अथवा छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो निदेशक नहीं रहा हूँ।
- ढ. चयन होने के तुरंत बाद मैं बैंक के साथ पेशेवर संबंध, यदि कुछ हो, से पृथक हो जाऊंगा और निदेशक के रूप में मेरी अवधि के दौरान और इसके उपरांत दो वर्ष की अवधि हेतु बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा।
- ण. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है; और
- त. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने का तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ।
- थ. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारित करने तक समय समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

द. मैं अन्य कंपनी/ बैंकों में मेरे वर्तमान व अतीत के निदेशकत्व के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत करता हूँ:

कंपनी, बैंक इत्यादि का नाम	निदेशकत्व के ब्यौरे यथा अवधि, कार्यकाल आदि

ध. मैं अपने वैयक्तिक ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और हर प्रकार से पूर्ण हैं; और

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. और ग्राहक आईडी क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

नाम : _____

दिनांक : _____

मुहर के साथ
हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्वर्योरेस के रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या (बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर.

* जो भी लागू हैं उसे चिन्हित करें

नोट - यदि आवश्यक हो, उचित रूप से संशोधित करें/हटा दें।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
नामांकन फॉर्म
(शेयरधारक द्वारा)
(विनियमावली के विनियम 65 (आई) (घ) का संदर्भ लें)

प्रति

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे 411005

अ. क्र

प्रिय महोदय,

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

आपकी दिनांक 17 जनवरी 2018 की सूचना के संदर्भ में, मैं _____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक **मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2018** (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्रत्येक के ----- इक्विटी शेयरों (पूर्णतः भुगतान किए गए) का शेयरधारक हूँ. पुणे में शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में निर्वाचन करने हेतु श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती _____ को जो _____

के निवासी हैं, उन्हें एतद्वारा नामित करता/करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

1. यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए.
2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए.
3. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन रद्द किया जा सकता है.

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म)

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र

बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यहां पासपोर्ट आकार
का फोटो चिपकाएं

..... 2018 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र

..... 2018 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र	
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण
क.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
	पिता का नाम (पूरा)
ख.	जन्मतिथि
ग.	शैक्षिक योग्यता
	शैक्षिक / अकेडैमिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़े)
	शैक्षिक / व्यावसायिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़े)
घ.	संबंधित पृष्ठभूमि व अनुभव (वर्षों में) (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3ए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबंधित अपना अनुभव दर्शाएं)
ड.	स्थायी पता
च.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)
छ.	ई-मेल आई डी
	टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाइन)
	टेलीफोन क्रमांक (मोबाईल)
ज.	1. आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (कृपया एक प्रति जोड़े). 2. आय कर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाईल की जाती है वहां का नाम व पता.
झ.	संबंधित ज्ञान व अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार).
ञ.	अन्य कोई जानकारी जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो.
II.	उम्मीदवार के सुसंगत संबंध

क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) के साथ पठित कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्दिष्टीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 (कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 1 ए और धारा 6)	
ख.	इकाईयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनके हित - निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और धारा 2(49) का संदर्भ लें) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क) व धारा 300).	
ग.	प्रस्तावित व विद्यमान इकाइयों की ऐसी सूची, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ के अनुसार उम्मीदवार का हित समझा जाए	
घ.	बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का/की सदस्य है/ रह चुका/ चुकी है (ऐसी सदस्यता/निदेशक पद के धारण की अवधि दें).	
ङ.	II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार और/ अथवा इकाईयों द्वारा बैंक से निधिक और गैर निधिक सुविधाएं, इस समय उपयोग की जा रही हैं	
च.	ऐसे मामले, यदि कुछ हों, जहां उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाईयां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता हों या पूर्व में चूककर्ता रहे हों.	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख	
क.	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV.	उम्मीदवार के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो	
क.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश हेतु उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो.	
ख.	उक्त II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या आरंभ की गई या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कुछ हो तो.	
ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्योरा	
घ.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के साथ पठित (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?	

इ.	क्या उक्त II (ख) और (ग) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के संदर्भ पर किसी जांच के अधीन रखा गया है ?	
च.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें.	
छ.	क्या उम्मीदवार/निदेशक ने किसी भी समय किसी नियंत्रक यथा सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारिबैंक, एमसीए, एफईएमए, सिबिल आदि से प्रतिकूल सूचना प्राप्त की है. (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी है और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए.	
V.	मद क्र. I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / जानकारी तथा अन्य जानकारी जो पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु सुसंगत समझी जाए	

वचनपत्र

मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
..... पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, जोकि उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूँ।
मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित विधिक विलेख के निष्पादन का भी वचन देता हूँ.
दिनांक :
स्थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें.
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.

बैंक की नामांकन समिति के अवलोकन/अभ्युक्तियां :

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य
स्थान :			
दिनांक :			

Bank of Maharashtra

(Head Office : 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 57 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, an Extraordinary General Meeting (EGM) of Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on **Friday, 16th February, 2018 at 10.30 a.m . at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005** to transact the following business:-

1. TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, TO PASS, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**“The Act”**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**“The Scheme”**) and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (**“The Regulations”**), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**“RBI”**), Government of India (**“GOI”**), Securities and Exchange Board of India (**“SEBI”**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**SEBI ICDR Regulations**) as amended from time to time, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 24,96,15,975 equity shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of Rs. 26.04 per share (including premium) as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating Rs.650 Crore (Rupees Six Hundred and Fifty Crore only) on Preferential basis to Government of India (**“GOI”**).

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **17th January, 2018**.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Director/s or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

2. ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR:


To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the **“Act”**) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the **“Regulation Act”**), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the **“Scheme”**) and Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as the **“Regulations”**) and Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-

08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No.DBR. Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 from Government of India (GOI) and F No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated 08.07.2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto and to pass the following as an **Ordinary**

Resolution:

"RESOLVED THAT _____ elected as Director from amongst Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office for a term of three years from the date of his/her assumption of office."

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**



(R.P. Marathe)
Managing Director & CEO

Place: Pune

Date: 17th January, 2018

NOTES:

1. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect agenda items is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra addressed to General Manager (Investor Services Department) Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours at 5.00 p.m. on **Friday, 09th February, 2018.**

3. Appointment of Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday, 09th February, 2018.**

4. Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the Venue voting by electronic means to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

5. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

6. **E-Voting process:**

a) **CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO.1:**

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of agenda items No.1 shall be reckoned as on **Friday, 09th February, 2018**.

b) **SPECIFIED DATE FOR ELECTION (AGENDA ITEM NO.2):**

For the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director representing the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, **Tuesday, 16th January, 2018** is fixed as Specified Date (Cut-off Date), as mentioned in the Notice. Thus, Voting Rights of shareholders in respect of election shall be reckoned as on **Tuesday, 16th January, 2018**.

c) **REMOTE E-VOTING:**

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote and venue e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.**

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date(s)** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Tuesday, 13th February, 2018 till 05:00 p.m. on Thursday, 15th February, 2018 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

a) **Follow steps to cast E-vote:**

- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>
- (ii) Click on Shareholder – **Login**
- (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.

Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).
--	--

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for the relevant <**BANK OF MAHARASHTRA**> on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Item No.1

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** i.e. Friday, 09th February, 2018 will appear.
- (xiv) In respect of Agenda item No.1, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "**SUBMIT**" and also "**CONFIRM**" when prompted.

For Agenda Item No.2

- (xv) In respect of Agenda item No.2, those holding shares as on the **Specified Date** i.e. Tuesday, 16th January, 2018 can cast their vote in favour of only ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "**SUBMIT**" and also "**CONFIRM**" when prompted.
- (xvi) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvii) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda items, you will not be allowed to modify your vote.
- (xviii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xix) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

- d) *The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.*
- e) *A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.*
- b) ***In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.***
- c) ***Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after the dispatch of the notice and is holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 09th February, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Bank/RTA. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the following Toll free no.: 1800-200-5533. Such shareholder will not have a right to vote on the Agenda Item No.2 (Election of One Shareholder Director of the Bank)***
- d) *The Portal will remain open for remote e-voting from 9.00 a.m. on Tuesday, 13th February, 2018 till 05:00 p.m. on Thursday, 15th February, 2018 and will be disabled thereafter.*
- e) *Shareholders may visit Bank’s website www.bankofmaharashtra.in – Investor Relations link on home page for updated e-voting instructions.*

7. VOTING PROCESS AT THE EGM:

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting by electronic means at the EGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the EGM.

8. SCRUTINIZERS AT EGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer along with another shareholder with respect to Agenda item no.1 for the voting process to be conducted at the Extraordinary General Meeting. In respect of Agenda item no.2, the entire process of Election would be conducted by the Chief Returning Officer appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Representative who will act as an Observer.

9. RESULTS OF EVOTING AND VOTING AT THE MEETING:

The Results of the voting at the EGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO.1:

DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

- a) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 11.50% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2019, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form of CET 1. The Bank’s Capital Adequacy Ratio as on 30.09.2017 was at 11.28% as per Basel III framework, of which Tier I capital (including CCB) was 9.00%, with CET 1 (including CCB) of 7.17%. To meet the additional requirement on account of CCB and to provide necessary capital for the annual business growth, Bank has assessed a Capital requirement of Rs.1800.00 Crore for the financial year 2017-18.
- b) Government of India, Ministry of Finance, vide its communication F.No.7/38/2014-BOA dated 28th December, 2017 has informed the Bank about infusion of Capital to the tune of Rs.650 Crore (Rupees Six Hundred and Fifty Crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India (GOI). GOI has also remitted the application money on 29th December, 2017 and the same is maintained in a separate account. The Board of Directors, in its meeting held on 03rd January, 2018 has approved the proposal of issuing equity shares aggregating upto Rs.650 Crore (including premium) to Government of India on preferential basis. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the Bank’s business growth.

- c) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended till date.
- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- e) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No of Shares held	% share holding	No of shares held	% share holding
A	Promoter Holding	1042413449	75.54	1292029424	79.29
B	Non Promoter Holding	337530974	24.46	337530974	20.71
	Total	1379944423	100.00	1629560398	100.00

- f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.
- g) As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in the management/ control of the Bank.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (GOI) would be as under:

Particulars	Number of Shares held	Percentage to Capital
Pre Issue	1042413449	75.54
Post Issue	1292029424	79.29

- h) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares granted by the Stock Exchanges.
- i) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- j) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- l) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- m) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- n) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 2:

- a) As per Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent but less than thirty two per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board should have two Directors duly elected by the Shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- b) Accordingly, the Bank is entitled to have two Directors, elected from amongst Shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having One Shareholder Director on the Board and there is a vacancy on the Board on completion of term of Shri P.A. Sethi, Shareholder Director of the Bank.
- c) The Board at its meeting held on 03rd January, 2018 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.

- d) The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respect, the Nomination Committee of the Board will determine the Fit & Proper status of the Candidates.
- e) After the aforesaid process, if only one valid nomination is found, the sole candidate shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the agenda item no.2 at the EGM will not be conducted. The newly elected director will assume office for a period of three years from the date of his/ her assumption of office.
- f) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and voting by electronic means at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulations / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20 Section 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➤ Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)& Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 and subsequent notifications.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected Directors on the Board of Nationalized Banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1 st July, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme/ The Regulations as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, No.DBOD BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 and GOI Guidelines will be hosted on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in which can be viewed/ downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Head Office at compsec@mahabank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., Thursday, 01st February, 2018.

A. PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Tuesday, 16th January, 2018** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of Director from amongst Shareholders, other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - i. agriculture and rural economy

- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

- B. represents the interest of depositors; or
- C. represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under subsection 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a Competent Court; or
 - c) if he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated 24.11.2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 and dated 20.07.2016 read with OM dated September 03, 2013 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

C. LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 from 17th January, 2018 for purchase by Shareholders on a pre-payment of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) for soft copy on CD and Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of '**Bank of Maharashtra**' payable at Pune. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

D. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 on all working days (other than Second and Fourth Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

E. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations, Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, No. DBR. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated 24.11.2016 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issued on 28.04.2015 and 20.07.2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts/ Guidelines/ Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Tuesday, 16th January, 2018** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on **Thursday, 01st February, 2018** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications /GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in)
- f) He / She is not disqualified under The Banking Regulation Act, 1949 or The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "The Regulations") and RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter F.No.16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 read with Guidelines dated 20.07.2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto.

F. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked "**Nomination for Shareholder Director - EGM 2018**" to the General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., **on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Thursday, 01st February, 2018.**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of a) Bio-data, b) Certificate of Educational Qualifications, c) Work Experience, etc.,

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

G. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR:

- a) Nominations shall be scrutinized on Friday, 02nd February, 2018 for conformity of the Nomination with the conditions as contained in the Regulations and in case any nomination is found not to be conforming, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Valid Nominations shall be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board (NCB) in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01.11.2007, 23.05.2011 and 24.11.2016 issued by the Reserve Bank of India.
- c) While determining the Fit & Proper status, the NCB may also, in terms of advice of GOI, keep in mind the Criteria laid down by the Government of India for consideration as a NOD in Public Sector Banks as issued by Ministry of Finance, Government of India on 28.04.2015 and 20.07.2016 while determination of the Fit & Proper Status of Candidate.
- d) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NCB seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- e) If there is only One candidate who is found to be Fit & Proper by the NCB the said candidate shall be deemed to be elected from the day of his/her assumption of office and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no Candidate is found to be Fit & Proper by the NCB, the agenda item no.2 at the EGM will not be conducted. The newly elected Director will assume the office the date next on which the Candidate is considered as Fit & Proper by the NCB.
- f) If there are more than one Candidate found to be Fit & Proper by the NCB, the names of the candidates shall be published on the Bank's website, CDSL E-voting Portal, newspapers and Election will be held. Candidate polling the majority of the votes will be declared as elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

H. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time but not later than 2.00 p.m. on **Monday, 12th February, 2018** by sending a signed letter addressed to General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or fax at 020 25533246 or scanned and signed letter over e-mail at boardsec@mahabank.co.in or compsec@mahabank.co.in

I. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.

J. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank at compsec@mahabank.co.in to obtain copy thereof.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

Existing Directors who intend to contest the Election of Shareholder Director may be deemed to be concerned or interested in the agenda item, if they decide to contest the election.

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**



(R.P. Marathe)

Managing Director & CEO

Place: Pune

Date: 17th January, 2018

DECLARATION
(By the Candidate)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of Shri. /Smt. _____, a resident of _____
_____ hereby confirm that:

- a. I am a Shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **Tuesday, 16th January, 2018** i.e., the **Specified Date** for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____;
- d. I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, relevant notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

I further declare that:

- g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- i. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- j. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers;
- k. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company;
- l. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer whether intermittently or continuously;
- m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer;
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- o. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- p. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank; and

q. I give below the details of my present as well as past directorship details in other Companies/ Banks:

Name of the Company/ Bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

r. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No (if Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Name : _____

Signature with Seal

Date : _____

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or (Bank of Maharashtra or any Nationalised Bank).

* Tick whichever is applicable

Note- modify suitably / delete if necessary.

Bank of Maharashtra
NOMINATION FORM
(By the Shareholder)
(Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

Sl. No.

To,
Managing Director and CEO
Bank of Maharashtra
Head Office,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar,
Pune – 411005

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 17th January, 2018, I _____ a shareholder of Bank of Maharashtra, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on Tuesday, 16th January, 2018 (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____ for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Friday, 16th February, 2018 at Pune.

Name	
Signature	
No. of Shares held	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix
passport
size photo
here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on2018	
I. Personal details of the candidate	
a.	Full Name (in capital letters) Fathers Name (in Full)
b.	Date of Birth
c.	Educational Qualifications Educational /academic (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information). Educational/ Professional (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).
d.	Relevant Background and Experience (in number of years) (As required under section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970) (Please indicate your experience relevant to the Directorship of the Bank). (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank.)
e.	Permanent Address
f.	Present Address (For correspondence)
g.	E-mail ID Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)
h.	1. Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). 2. Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.
i.	Relevant Knowledge and Experience (As required under Section 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
j.	Any other information relevant to the Directorship of the Bank.
II. Relevant Relationships of the Candidate	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of The Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956].

	b.	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2(49) and Section 184 of The Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of The Companies Act, 1956].	
	c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of The Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held).	
	e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by the entities listed at II (b) and (c) above from the Bank.	
	f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank of Maharashtra or any other Bank.	
III. Records of Professional Achievements			
	a.	Professional achievements relevant	
IV. Proceedings, if any, against the Candidate			
	a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
	d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, [Section 274 of the Companies Act, 1956] read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.	
	e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax /foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	

	<p>g. Whether the candidate had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, MCA, FEMA, CIBIL etc., (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</p>	
--	---	--

<p>V.</p>	<p>Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.</p>	
------------------	--	--

UNDERTAKING

I _____ Son/ Daughter / Wife of _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all Directors of the Bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Remarks /Observations of the Nomination Committee of the Bank:

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member
Place:			
Date:			



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

विनियमावली के विनियम 70 (iii) के अनुसार

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो क्र.	डीपी आईडी क्र.
(यदि डी-मैट स्वरूप में नहीं है)	ग्राहक आईडी क्र.
	(यदि डी-मैट स्वरूप में है)

मैं/हम ----- निवासी -----
----- जिला ----- राज्य -----

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती -----
निवासी ----- जिला ----- राज्य ----- को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती
----- निवासी ----- जिला -----

राज्य ----- को **शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी, 2018** को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक और इसके स्थगित होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमारी ओर से और मेरे/ हमारे लिए वोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करती हूँ.

दिनांक ----- 2018 को हस्ताक्षरित

नाम:-----

पता:-----

कृपया ₹ 1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

(पहले नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि -
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की जानी है।
 - प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एशयोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
 - प्रॉक्सी फॉर्म
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) के अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ
- असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी 2018 को कार्य-समाप्ति घंटे शाम 5.00 बजे या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पास जमा हो जाना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो।
 - बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी।
 - यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
 - एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे वह लिखत संबंधित है।
 - ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो।
 - नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



BANK OF MAHARASHTRA

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

Form B PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)
(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.	DP ID No.
	Client ID No.
If not Dematerialised	If Dematerialised

I/We, resident(s) of in the district of in the State of being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt. resident of in the district of in the State of OR failing him/her, Shri/Smt. resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on **Friday, 16th February, 2018** at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2018.

Name.....

Address.....

.....

Please
affix ₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c. In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. The Proxy together with
 - a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours at **05.00 P.M on Friday, 09th February, 2018.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी 2018 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में
असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting, Friday, 16th February, 2018 at 10.30 a.m. At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सौंपा जाना है) / (To be surrendered at the time of registration of attendance)

बड़े अक्षरों में नाम (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आईडी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

यहां से काटें / cut here



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी 2018 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में
असाधारण सामान्य बैठक

Extraordinary General Meeting, Friday, 16th February, 2018 at 10.30 a.m. At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाये) / (To be retained through out the Meeting)

बड़े अक्षरों में नाम (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आईडी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को बैठक हॉल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें. प्रवेश पत्र का हिस्सा शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा जो उन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना है.

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting.

असाधारण सामान्य बैठक स्थल पर पहुंचने हेतु रोड- मैप
Route Map to Reach Venue of Extraordinary General Meeting

स्थल: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
Location: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक